न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय ,कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।
उपस्थितः श्री अलख कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP3826
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–637/2026
UPMH010023682026

1. काजल उम्र 28 वर्ष पत्नी राजन गुप्ता निवासी चकबंदी दक्षिण टोला कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जिला कुशीनगर।
2. सुमित्रा उम्र 56 वर्ष पत्नी उमेश चौहान निवासी पिपरा माफी कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जिना कुशीनगर।

.....आवेदिकागण/अभियुक्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य,

.....अभियोगी

अपराध संख्या–111/2026
धारा–3(1)उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप(नि0)अधि0
थाना–सिन्दुरिया, जनपद–महराजगंज

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

<u>03.06.2026</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तागण काजल पत्नी राजन गुप्ता और सुमित्रा पत्नी उमेश चौहान की ओर से अपराध संख्या–111/2026 धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना–सिन्दुरिया जनपद–महराजगंज में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ विनोद तिवारी की ओर से इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि वह अभियुक्तागण से परिचित है और पैरवीकार मुकदमा है। अभियुक्तागण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

2. उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया।

3. प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से जमानत का यह आधार लिया गया है कि " प्रार्थिनीगण बिल्कुल निर्दोष घरेलू महिला है, कोई जुर्म कारित नहीं किये है, पुलिस द्वारा मांग की गयी अवैध धनराशी न दिए जाने के कारण पुलिस द्वारा प्रार्थिनीगण को मिथ्या अभियोजन कथन तैयार कर गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध में

अभियोजित कर दिया गया है। जिस गैंगचार्ट के आधार पर प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विरुद्ध अभियोजन संस्थित किया गया है, उसमें प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विरुद्ध महज एक मुक़दमे का वर्णन है, बावजूद इसके उच्चाधिकारियों द्वारा यंत्रवत तरीके से बिना तथ्यों का सम्यक परिशीलन किये गैगचार्ट का अनुमोदन कर दिया गया है। गैंगचार्ट में महज एक मुकदमे का वर्णन है, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणय, 7 वर्ष से कम दंड से दंडनीय है. इसके अतिरिक्त उक्त मुकदमे के अभियोजन कथानक में ही प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण का कोई भूमिका भी नहीं है। उक्त एक मुकदमे में प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दिया जा चुका है, इसके अतिरिक्त प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण का कोई अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण का कभी भी किसी तरह के अपराध से कोई वास्ता सरोकार नही रहा है, बल्कि वे एक कानून के पालक और घरेलू महिला है, जिससे उनके द्वारा समाज में भय फैलाने का आरोप हास्यास्पद और आधारहीन है। तथाकथित आरोपित अपराध में गैंगस्टर एक्ट के आज्ञापक प्राविधानो का पालन नहीं किया गया है तथा आरोपित अपराध प्रार्थीनीगण के विरुद्ध संगठित (Made out) नहीं हो रहा है। प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण का माननीय न्यायलय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त मा० उच्च न्यायलय में अथवा किसी अन्य न्यायलय में न तो दाखिल है न लंबित है और न ही निरस्त ही हुआ है। प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण माननीय न्यायलय के आदेशानुसार माकूल जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण कि जमानत धनराशी नियत कर जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश देने कि कृपा करें।"

4. वहीं दूसरी ओर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि गैंग चार्ट में प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विरूद्ध कुल 01 मुकदमें दर्शित किये गये है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. गैंगचार्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैंगचार्ट में प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विरूद्ध मु0अ0सं0–100/2026 अन्तर्गत धारा–319(2), 115(2), 352, 351(3), 317(2), 61(2)(b) बी.एन.एस., थाना–सिन्दुरिया, जनपद महराजगंज दर्शित किया गया है। अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि मु0अ0सं0–100/2026 में अभियुक्तागण की जमानत दिनांक 15.05.2026 को माननीय सेशन न्यायालय, महराजगंज द्वारा हो चुकी है। अपने कथन के समर्थन में उक्त जमानत आदेश की छायाप्रति एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्य का खण्डन अभियोजन के द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रार्थिनीगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैंगचार्ट में वर्णित अपराधों के आधार पर प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विरूद्ध अपराध संख्या–111/2025 अन्तर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया एवं गिरफ्तार किया गया। मामले के तमाम गवाह पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी है। इस प्रकार यह कह पाना कि प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण को जमानत पर छोड़े जाने पर गवाहों को डरायेंगी व धमकायेंगी, उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत दिए आवेदिकागण/अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आवेदिकागण/अभियुक्तागण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

6. आवेदिकागण/अभियुक्तागण काजल पत्नी राजन गुप्ता और सुमित्रा पत्नी उमेश चौहान द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

(1) आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्येक द्वारा मु0–50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bachhi Devi Vs State of U.P. and Another (2025 SCC Online ALL 5286) व Pappu met @ Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgment dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उन्हें रिहा किया जाये।
(ii) आवेदिकागण/अभियुक्तागण जमानत पर रिहा होने के पश्चात् मामले के साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगी तथा साक्ष्यों को विरूपित करने का प्रयास नहीं करेगी।
(iii) आवेदिकागण/अभियुक्तागण विचारण के स्तर पर कार्यवाही को विलम्बित नहीं करेगी।
(IV) आवेदिकागण/अभियुक्तागण अपना तथा जमानतदारों का निवास स्थान बदलने पर इसकी सूचना न्यायालय को देगी।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदिकागण/अभियुक्तागण को उपलब्ध कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक, महराजगंज को जरिए ई–मेल या पोर्टल के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः03.06.2026

(अलख कुमार)
आई.डी. नम्बर–यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–2,
महराजगंज।

Digitally signed by ALAKH KUMAR
Date: 2026.06.03 16:44:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court